

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 नटवरलाल पुत्र मोबाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) बनाम
 सा. खाखड़की तह. नावां

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
 मोहनीदेवी पत्नि बनाराम जाति जाट वर्ग.
 सा. खाखड़की तह. नावां

किस्म मुकदमा : 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 240/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
18.10.2022	<p>चादी की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल कुमावत यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.11.2022 को पेश हो।</p> <p>16/11/22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली उपा. पीठासीन अधिकारी को द्वारा कार्य से बहार चलाये गये। दिनांक 30/11/22 को पेश हो।</p> <p>30/11/22 पत्रावली पेश हुई। अज्ञात वार अप्यल के द्वारा आज का सम्मन रखा है। पत्रावली दिनांक 19/12/22 को पेश हो।</p> <p>14/12/22 उन्नपपक्ष उपा. प्रतिवादी संख्या 3,4 की ओर से Adv. श्री देवी सिंह लोलेकी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिशाल ही पत्रावली वामत वकालत तलबी दि 23/11/23 को पेश हो।</p> <p>23/11/23 उन्नपपक्ष उपा. प्रतिवादीगण के बाद लाली नौचित आता प्रतिवादी संख्या 1 का लाली शुद्ध सम्मन प्राप्त बार-बार आवाज कि कहीं गई जिसके बावजूद भी अनुपस्थित रहे हैं। एकपक्षीय कार्यवाही क्रम में भाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 आबाद मकान पर चल्तानगी रिपोर्ट के सत्य प्राप्त पुनः पेश करे। दि 13/12/23 को पेश हो।</p>	<p>(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>



तारीख हुक्म

नाम
अध्यक्ष
हुक्म
में जज

हुक्म

13/2/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी मौजूद राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 9/2/23 को पेश हो।
SR

9/8/23 पत्रावली पेश हुई। कमील चार अध्यक्ष के द्वारा आज का स्थान रखा है। पत्रावली दिनांक 6/4/23 को पेश हो।
SR

6/4/23 पत्रावली पेश हुई। कमील चार अध्यक्ष के द्वारा आज का स्थान रखा है। पत्रावली दिनांक 17/4/23 को पेश हो।
SR

17/4/23 उपपक्ष उपर बकाया प्रतिवादीगण की लम्बी जल्कि LAD पेश करने हेतु दिवायत की गई मिडिक 20/5/23 को पेश हो

30/5/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी मौजूद राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 28/6/23 को पेश हो।
SR

28/6/23 पत्रावली अदालत "प्रशासन गांवों के संग अभियान 202" कम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भारत रिमोव करके गांधी सेवा केन्द्र ~~28/6/23~~ में आज पेश किया गया। प्रतिवादी/प्रतिवादी हाजीर/पेश/पक्षकारान् वादी/प्रतिवादीगण हाजीर/पेश/पक्षकारान् के माध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 20/9/23 को पेश हो।
SR

20/9/23 पत्रावली पेश हुई। अडिवक्ता वादी व वादी स्वर्ण को बार-बार श्रावाज किताई गई जिसके बावजूद भी अनुपस्थित रहे हैं।
अनः वादी का वादी पत्र अदम हाजीर व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम हो व क्षणिक रूपत हो।
SR

रजिस्ट्रार अधिकारी
नाबो (डीडवाना-मुज. न)